

- (ii) मृतृत्वता और बाल कल्याण
- (iii) संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम;

(च) महामारियों के खिलाफ लोगों को सहायता तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना ।

2. संचार के क्षेत्र में :-

- (क) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (ख) ग्रामीण पहुँचमार्ग के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

3. मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में :-

- (क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;
- (ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्ट्रों की जाँच तथा शैक्षणिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं पर संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देना;
- (ग) मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें प्रस्तुत करना;
- (घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षिक संस्थानों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य;
- (ङ) विद्यार्थियों की नियमितताओं, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

4. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में :-

लोगों को स्वावलम्बी, उद्योगी तथा सहयोगी मानसिकता वाले बनाने के लिए उनके बीच नई दृष्टिकोण पैदा करने तथा विशेष रूप से :-

- (क) सूचना केन्द्रों, सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों और आमोद-प्रमोद केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;
- (ख) सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए युवा क्लब, महिला क्लब तथा कृषक संगठन जैसे संस्थानों की स्थापना और पहले से ही स्थापित संस्थानों को प्रोत्साहित करना;
- (ग) ग्राम रक्षा दलों की स्थापना ;
- (घ) शारीरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा;
- (ङ) स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों की स्थापना;